संख्या-48/2025/आई/975492/2025/23-2099(099)/234/2024

प्रेषक,

रिपुंजय गुप्ता,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 28 मई, 2025**

विषय:-जनपद बाराबंकी में इंटौजा महोना-कुम्हरावा-कुर्सी-देवां-चिनहट मार्ग (प्र०जि**0**मा**0-88**सी) के चैनेज **18.500** से चैनेज **45.850** में **02** लेन से **04** लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के निर्गत शासनादेश में संशोधन कराते हुए किमी**0 23** एवं किमी**0 45** पर शारदा नहर पर **04 (02 x 02)** लेन सेतुओं के निर्माण हेतु सेतु निगम को कार्यदायी संस्था नामित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ के पत्र संख्या-369/प्र0नि0-शिविर/2025, दिनांक 19.05.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद बाराबंकी में इंटौजा महोना-कुम्हरावा-कुर्सी-देवां-चिनहट मार्ग (प्र०जि**0**मा**0-88**सी) के चैनेज **18.500** से चैनेज **45.850** में **02** लेन से **04** लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के निर्गत शासनादेश में संशोधन कराते हुए किमी**0 23** एवं किमी**0 45** पर शारदा नहर पर **04 (02 x 02)** लेन सेतुओं के निर्माण हेतु सेतु निगम को कार्यदायी संस्था नामित किये जाने की संस्तुति उपलब्ध करायी गयी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बाराबंकी में इंटौजा-महोना-कुम्हरावा-कुर्सी-देवां-चिनहट मार्ग (प्र0जि0 मा0-88सी) के चैनेज 18.500 से चैनेज 45.850 में 02 लेन से 04 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य (लम्बाई 27.350 किमी0) की शासनादेश संख्या-40/2025/आई/960322/2025/001-23-2099(099)/234/2024**,** दिनांक 13.05.2025 द्वारा रू0 44564.29 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है**,** जिसमें प्रश्नगत परियोजना में सम्मिलित किमी**0 23** एवं किमी**0 45** पर शारदा नहर पर **04 (02 x 02)** लेन सेतुओं के निर्माण कार्य हेतु विभागीय कार्यदायी संस्था उ**0**प्र**0** राज्य सेतु निगम लि**0,** लखनऊ होगी।

भवदीय,
रिपुंजय गुप्ता
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
5- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
6- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1/सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लिमिटेड, लखनऊ।
9- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
10- संबंधित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
11- संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
12- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कानपुर।
13- उप परियोजना प्रबन्धक, सेतु निर्माण इकाई-1, लखनऊ।
14- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
15- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
16- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजना/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
17- लोक निर्माण अनुभाग-1/6/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
18- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
19- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
रिपुंजय गुप्ता
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।